

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2600] No. 2600] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 7, 2017/भाद्र 16, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 7, 2017/BHADRA 16, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2017

सं० 27/2015-2020

विषयः खांड हेतु टीआरक्यू : आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची—1(आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत खांड की आयात नीति में संशोधन।

का.आ.2963(अ).—समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैराग्राफ 1.02 और 2.01 के साथ पिठत, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के तहत वर्गीकृत 'खांड' के लिए आयात नीति की शर्त को निम्नान्सार शामिल करती है:—

एक्जिम कोड	मद विवरण	नीति	मौजूदा नीतिगत शर्ते	संशोधित नीतिगत शर्त
170114	खांड	मुक्त	7	एक्जिम कोड 170114 के तहत मदों का आयात ''मुक्त'' है। तथापि, 3 लाख मी० ट० तक खांड का आयात निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अनुसार (25% सीमाशुल्क की दर पर) प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अधीन है।

2. (i) एक्जिम कोड 170114 के तहत खांड का 3 लाख मी० ट० आयात नीचे दी गई तालिका के अनुसार दक्षिणी राज्यों के निम्नलिखित पत्तनों और डीजीएफटी के तद्नुरुपी क्षेत्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से 25: की प्रशुल्क दर पर मिल मालिकों / परिशोधन करने वालों द्वारा अनुमत है।

5582 GI/2017 (1)

<u>पतन का नाम</u> (केवल निम्नलिखित पत्तनों के माध्यम से आयात की अनुमति है)	आवेदन डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाए
(i) तूतीकोरिन, और (ii) चेन्नई (तमिलनाडु) (iii) कराईकल (पुडुचेरी)	 तूतीकोरिन, चेन्नई और कराईकल पत्तनों के माध्यम से आयात करने वाले आवेदकों को अपना आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, चेन्नई के समक्ष प्रस्तुत करना है;
(iv) मैंगलोर (कर्नाटक) (v) काकीनाडा, (vi) विशाखापट्टनम और	 मैंगलोर के माध्यम से आयात के लिए आवेदक अपना आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी, बेंगलुरु को प्रस्तुत कर सकते हैं; और
(vii) गंगावरम (आंध्र प्रदेश)	 काकीनाडा, विशाखापट्टनम और गंगावरम के माध्यम से आयात के लिए आवेदक अपना आवेदन, क्षेत्रीय प्राधिकारी, विशाखापट्टनम को प्रस्तुत कर सकते हैं।

ii. आवेदन :

क. विदेश व्यापार महानिदेशालय की विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के एएनएफ—2 ड के अनुसार खांड के आयात के लिए खांड के इच्छुक मिल मालिकों / परिशोधन करने वालों (खांड से सफेद चीनी / रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करने की अपनी परिशोधन / प्रोसेसिंग क्षमता वाले) से आनलाइन आवेदन sugarimporttrq-dgft@nic.in पर क्षेत्रीय प्राधिकारी, नामतः चेन्नई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम को प्रतिलिपि के साथ आमंत्रित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन की हस्ताक्षरित प्रतिलिपि संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी और विदेश व्यापार महानिदेशालय, मुख्यालय (आयात प्रकोष्ठ) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजनी होगी। इन आवेदनों के लिए आवेदन—शुल्क का भुगतान परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2 ट में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक शोधन / प्रोसेसिंग इकाई हेतु आवेदकों को डीआईपीपी द्वारा जारी नवीनतम आईईएम की स्वप्रमाणित प्रति प्रदान करते समय अपनी शोधन प्रोसेसिंग क्षमता की स्वघोषणा और / अथवा अपनी शोधन / प्रोसेसिंग क्षमता इंगित करते हुए कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

ख. इस अधिसूचना के तहत आयात करने के इच्छुक आवेदकों को अपने आवेदन में अधिसूचना सं० 1 दिनांक, 5 अप्रैल, 2017 के प्रत्युत्तर में आवेदित मात्रा; आबंटित मात्रा तथा आबंटित कोटा के तहत आवेदक फर्म द्वारा किए गए कुल आयात को दर्शाना होगा।

ग. आवेदन 8 सितम्बर से 12 सितम्बर, 2017 (5 बजे शाम तक) (5 दिवस) के बीच प्राप्त किए जाएंगे। प्रत्येक पात्र आवेदक हेतु कोटे के आवंटन को प्रक्रिया पुस्तक 2015—20 के पैरा 2.51 के तहत ईएफसी के निर्णय के अनुसार 13 सितम्बर, 2017 को अधिसूचित किया जाएगा। ईएफसी, आवेदनों पर विचार करते समय अन्य बातों के साथ—साथ आवेदक की मासिक शोधन/प्रोसेसिंग क्षमता, आवेदक द्वारा आवेदित मात्रा तथा अधिसूचना के तहत प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या जैसे कारकों पर विचार करेगा। समिति द्वारा पिछले उपयोग के रिकार्ड पर भी विचार किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी ईएफसी के निर्णय के अनुसार लाइसेंस/लाइसेंसों को जारी करेगा।

घ. आयातक अपना आयात कोटा प्राप्त करने के 10 दिनों के भीतर sugarimporttrq-dgft@nic.in. पर संबंधित आरए को साख पत्र/पुष्टि अनुबंध का विवरण भेजेगा। इस ई—मेल के विषय शीर्ष में "आवेदक का नाम/आईई कोड/आवेदन में उल्लिखित मात्रा मीट्रिक टन में/आरए का नाम जिसे आवेदन किया जा रहा है, का उल्लेख किया जाएगा। इसका अनुपालन न करने पर इस अधिसूचना के पैरा (पअ) के अनुसार जुर्माना लगेगा और आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा।

ड. अप्रतिसंहरणीय साख पत्र प्रस्तुत करने के बाद आयातक लाइसेंस जारी होने की तारीख के 60 दिनों के भीतर आवेदक फर्म को यथा आबंटित खांड की सम्पूर्ण मात्रा का आगे आयात करेगा।

च. 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 68/2017 सीमाशुल्क (एन.टी.) के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त इस टीआरक्यू स्कीम के तहत आयात पर लागू होगी और आयातक प्रविष्टि बिल या भीतर प्रवेश की तारीख से अधिकतम 30 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो, की अवधि में खांड को सफेद/रिफाइंड चीनी में परिवर्तित करेगा।

iii. कोटे की वैधता : — इस अधिसूचना के अंतर्गत टीआरक्यू लाभ (25: सीमाशुल्क प्रशुल्क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अनुसार लाइसेंस जारी होने की तारीख से 60 (साठ) दिनों तक उपलब्ध होगा।

- iv. जुर्मानाः— टीआरक्यू के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् यदि आवेदक कोटे का पूर्णतः/आंशिक रुप से उपयोग करने में समर्थ नहीं होता है तो आवेदक 25 सितम्बर, 2017 तक sugarimporttrq-dgft@nic.in. पर डीजीएफटी को अप्रयुक्त मात्रा का अभ्यर्पण करेगा। ऐसे मामले में आवेदक अप्रयुक्त कोटे की सीआईएफ मूल्य की 0.5 प्रतिशत राशि के जुर्माने का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अप्रयुक्त मात्रा की सूचना न देने पर 0.5 प्रतिशत जुर्माने के अतिरिक्त समय—समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत उस पर आगे दंडात्मक कार्रवाई होगी।
- v. रिपोर्टिंगः— लाइसेंस धारक sugarimporttrq-dgft@nic.in.; cdsugar.fpd@nic.in. और अपने क्षेत्राधिकारी क्षेत्रीय प्राधिकारी को साप्ताहिक (प्रत्येक सोमवार) विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें भारतीय पत्तनों पर पोतलदानों के वास्तविक आगमन का उल्लेख होगा।
- vi. पुनः आबंटन :- अभ्यर्पित अथवा निरस्त कोटे, यदि कोई हो, को अन्य पात्र आवेदकों को एक सप्ताह के अंदर आवंटित किया जाएगा।
- vii. डीजीएफटी के पास किसी भी समय आवटंन में कोई परिवर्तन जैसा कि उचित समझा जाए, करने का अधिकार सुरक्षित है। इस अधिसूचना का प्रभाव:— आईटीसी (एचएस), 2017—अनुसूची—1 (आयात नीति) के अध्याय 17 के एक्जिम कोड 170114 के अंतर्गत 3 लाख मिट्रिक टन खांड का आयात टीआरक्यू के तहत 25: सीमा शुल्क की दर पर अनुमत किया जाता है।

[फा॰ सं॰ 01 / 89 / 180 / विविध—13 / एएम—07 / पीसी 2 (क)] आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2017

No.27/2015-2020

Subject: TRQ for Raw Sugar: Amendment in import policy of raw sugar classified under Exim Code <u>170114</u> of Chapter 17 of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy).

S.O. 2963(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby inserts import policy condition on 'Raw Sugar' classified under Exim Code 170114 of Chapter 17 of ITC (HS), 2017 – Schedule – 1 (Import Policy) as under:

Exim Code	Item Description	Policy	Existing Policy Conditions	Revised Policy Condition
170114	Raw Sugar	Free		Import of items under Exim Code 170114 is "Free". However, import up to 3 Lakh MT of raw sugar is subject to Tariff Rate Quota Scheme (@ 25% Customs duty) as per conditions laid down below.

2. (i) Import of 3 Lakh MT of raw sugar under Exim Code 170114 is allowed to be imported by millers/ refiners at 25% Tariff Duty, through the following ports in the southern states and corresponding Regional Authorities of DGFT, as in the table below:

Name of the Port (Import allowed only through following ports)	Application to be submitted to the Regional Authority of DGFT
 (i) Tuticorin, and (ii) Chennai (Tamil Nadu), (iii) Karaikal(Puducherry) (iv) Mangalore (Karnataka) (v) Kakinada, (vi) Vishakhapatnam and (vii) Gangavaram (Andhra Pradesh) 	 Applicants importing through Tuticorin, Chennai and Karaikal ports are to submit their applications to RA, Chennai; For imports through Mangalore, applicants may submit their applications to RA, Bengaluru; and For imports through Kakinada, Vishakhapatnam and Gangavaram applicants may submit their applications to RA, Vishakhapatnam.

ii. Applications:

- a. Applications are invited online from the intending millers/refiners (having own refining/processing capacity for conversion of raw sugar to white /refined sugar) of raw sugar for import of raw sugar as per ANF-2M of FTP 2015-20 to DGFT, at sugarimporttrq-dgft@nic.in with a copy to Regional Authorities namely Chennai, Bengaluru and Visakhapatnam. Further, a signed copy of the application shall be submitted to Regional Authority concerned and to DGFT Hqrs. (Import Cell), Udyog Bhawan, New Delhi. Application fee for these applications shall be paid according to procedure as per Appendix 2K of Appendices & Aayat Niryat Forms. For each refining/processing unit, applicants shall give self declaration of its refining/processing capacity while providing self certified copy of latest IEM issued by DIPP and/or any other document indicating its refining/processing capacity.
- b. Applicants intending to import under this notification must also indicate in its application the quantum applied in response to the Notification No. 1 dated 5th April, 2017; the quantum allotted and total imports made by the applicant firm against the allocated quota.
- c. The applications will be received between 8th September to 12th September, 2017 (till 5 pm) (five days). The allocation of quota for each eligible applicant shall be notified on 13th September, 2017, as per the decision of the EFC under Para 2.51 of the HBP, 2015-20. The EFC, while considering applications, will take into considerations; inter alia, the monthly refining/processing capacity of the applicant, the quantity applied for by the applicant and the total number of applications received under the notification. Record of past utilization, will also be considered by the Committee. RA will issue license/s as per the decisions of the EFC.
- d. The importer shall furnish the details of Letter of Credit /confirmed contract to the RA concerned within 10 days of getting their import quota at sugarimporttrq-dgft@nic.in. The subject header of this e-mail shall be "Name of applicant / IE Code /quantity applied in MT / Name of the RA where application is being filed. Non compliance will attract penalty as per Para (iv) of this notification and automatic cancellation of allocation.
- e. The importer having furnished the irrevocable letter of credit shall further import the entire quantity of raw sugar, as allotted to the applicant firm, within 60 days of date of issue of license.
- f. Actual user condition as in the Notification No. 68/2017-Customs (N.T.) dated 30th June, 2017 will be applicable on imports under this TRQ scheme and importer shall convert raw sugar into white/refined sugar within a period, not exceeding 30 days from the date of bill of entry or the date of entry inwards, whichever is later.
- **iii. Validity of Quota:** TRQ benefit (25% Customs tariff) under this Notification shall be available upto 60 (sixty) days from the date of issue of license as per Section 15 of the Customs Act, 1962.

- iv. Penalty: If, after obtaining license under TRQ, the applicant fails to utilize the quota fully/partially, the applicant shall surrender the unutilized quantity to DGFT at sugarimporttrq-dgft@nic.in by 25th September,
 2017. In such a case, the applicant will be liable for a penalty of 0.5% of the CIF value of the unutilized quota. Failure to intimate the unutilized quantity will further make him liable to penal actions under FT(DR) Act 1992, as amended from time to time, in addition to the penalty of 0.5%.
- **v. Reporting:** The license holders shall submit weekly statements (every Monday) indicating the actual arrival of shipments at the Indian ports at sugarimporttrq-dgft@nic.in; cdsugar.fpd@nic.in; and to his jurisdictional Regional Authority.
- vi. Reallocation: The quota so surrendered or cancelled, if any, will be allocated to other eligible applicants within a week.
- vii. DGFT reserves the right to make any changes in allocation as deemed fit at any point of time.

Effect of this Notification: Import of 3 Lakh MT of raw sugar under Exim Code 170114 of Chapter 17 of ITC (HS), 2017–Schedule–1 (Import Policy) is allowed at 25% Customs duty under TRQ.

[F. No. 01/89/180/Misc-13/AM-07/PC-2 (A)]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade